

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु / 2004-05 / 144

दिनांक 21-7-04

कुल सचिव
बीकानेर विश्वविद्यालय
बीकानेर ।



विषय- निजी महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2004-05 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निम्न महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004-05 में उनके नाम के सामने अंकित विषय/ संकाय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र०स०	महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय
1	2	3
1	श्री जैन पी जी महाविद्यालय, बीकानेर	एमएससी-कम्प्यूटर साइंस

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यूजी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर आयुक्त कालेज शिक्षा, को प्रेषित करेगी अन्यथा आयुक्त कार्यालय द्वारा एन.ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों को ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधाएँ जैसे कक्षा कक्ष / फर्नीचर / प्रयोगशालाएँ / पुस्तकालय / खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
7. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं आयुक्त कालेज शिक्षा के निर्देशों की पालना करेगी ।
8. उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय/ पाठ्यक्रम हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं आयुक्त कालेज शिक्षा, को सूचित किया जायेगा ।

प्रदीप,
21-7-04
(बी.एल.आर)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा०मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, बीकानेर ।
8. अध्यक्ष/सचिव/म.प्र. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुमोदन)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।